



2026:AHC:65935

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या- 7270 वर्ष 2026

मनीष आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: कुलदीप सिंह चाहर

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: दिनेश कुमार, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 65

(क्रम संख्या-76 वर्ष 295)

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को संशोधित किया गया है। सूचनाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा दायर जवाबी हलफनामे को अभिलेखों पर लिया जाता है।
2. आवेदक के अधिवक्ता ने प्रत्युत्तर हलफनामा दायर करने का प्रस्ताव नहीं किया है।
3. आवेदक के अधिवक्ता श्री कुलदीप सिंह चाहर, सूचनाकर्ता के अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार के साथ-साथ राज्य के विधि अधिकारी श्री आर.पी. पटेल को सुना और अभिलेखों पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया।
4. आवेदक केस अपराध संख्या-663 वर्ष 2025 में धारा 137(2), 87, 333, 65(1) बी.एन.एस. और 3/4(2) पॉक्सो एक्ट, थाना-कोशी कलां, जिला मथुरा के तहत मुकदमे के लंबित रहने के दौरान ज़मानत मांगता है।
5. आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक पूरी तरह से निर्दोष है और उसे प्रस्तुत मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। प्राथमिकी में तीन दिन की देरी हुई है और उक्त देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. अधिवक्ता ने आगे कहा है कि पीड़िता की सहमति इस तथ्य से ली जा सकती है कि पीड़िता ने उसके घर से 3,80,000/- रुपये ले लिए हैं और उसकी सहमति धारा 183 बी.एन.एस.एस. के तहत दर्ज किए गए उसके बयान से स्पष्ट है, जिसके तहत मजिस्ट्रेट द्वारा विशेष रूप से प्रश्न पूछे जाने पर, उसने आवेदक द्वारा किसी भी यौन उत्पीड़न के अधीन होने से इनकार किया है। इसके बाद, बाद में, बाद में, पीड़िता द्वारा 18.11.2025 को एक आवेदन दायर किया गया था, जिसमें आवेदक और सह-आरोपी व्यक्ति हरिओम के खिलाफ सामूहिक बलात्कार के आरोप लगाए गए थे। अगर ऐसा होता, तो यह बी.एन.एस.एस. की धारा 183 के तहत बयान दर्ज करते समय ही सामने आता। अन्यथा भी, 19.11.2025 को दायर किया गया आवेदन धारा 181 बी.एन.एस.एस. द्वारा मारा गया है, इस प्रकार, आवेदक ज़मानत का हकदार है।

7. आवेदक के अधिवक्ता ने आगे कहा है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। घटना की कोई चिकित्सकीय पुष्टि नहीं है। आवेदक 21.11.2025 से जेल में बंद है और वह मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को ज़मानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

8. अपर शासकीय अधिवक्ता और सूचनाकर्ता के अधिवक्ता ने इस आधार पर ज़मानत आवेदन का जोरदार विरोध किया है कि आवेदक के परिवार के सदस्य सूचनाकर्ता और पीड़िता को आवेदक के खिलाफ गवाही देने से परहेज करने की धमकी दे रहे हैं और यही कारण है कि पीड़िता ने धारा 183 बी.एन.एस.एस. के तहत दर्ज किए गए अपने बयान के समय आवेदक या सह-आरोपी व्यक्ति के खिलाफ सामूहिक बलात्कार का कोई आरोप नहीं लगाया। 18.11.2025 और 26.11.2025 को अधिकारियों के समक्ष दिए गए उक्त आवेदन जवाबी हलफनामे के अनुलग्नक-सीए-IV के रूप में दायर किए गए हैं। पीड़िता की आयु केवल 14 वर्ष है, इस प्रकार, आवेदक ज़मानत का हकदार नहीं है।

9. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षों के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ, अभिलेखों पर साक्ष्य, प्राथमिकी में देरी को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पीड़िता ने धारा 183 बी.एन.एस.एस. के तहत अपना बयान दर्ज करते समय किसी भी यौन उत्पीड़न के अधीन होने से इनकार कर दिया है और उसने कई स्थानों की यात्रा की है और उक्त प्रवास के दौरान कोई अलार्म



नहीं उठाया है, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय का विचार है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला बनाया है। जमानत आवेदन की अनुमति दी जाती है।

10. आवेदक- मनीष, जो उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित अदालत की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों को सत्यापित किया जाना चाहिए।

- (i) आवेदक मुकदमे के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा।
- (iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

11. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

12. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियां गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विचारण न्यायाधीश को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेंगी।

मार्च 30, 2026

शालिनी

(कृष्ण पहल)